तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	17/5 /पक्षकारान के [illegible] उपस्थित [illegible] मीटिंग में/भ्रमण/ [illegible] अवकाश पर गये हुए [illegible] उनके समक्ष दिनांक 12/5 को प्रस्तुत हो।
24/5/21	/पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में/भ्रमण/ स्थानान्तरण हो चुका है/अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 17/6/21 को प्रस्तुत हो।
	17/6/21 /पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में/भ्रमण/ स्थानान्तरण हो चुका है/अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 29/6/21 को प्रस्तुत हो।
	29/6 /पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित पीठासीन अधिकारी [illegible] मीटिंग में/भ्रमण/ स्थानान्तरण [illegible] अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 7/7 को प्रस्तुत हो।
7.7.21	पत्रावली पेश। पक्षकारान उपस्थित। वकील [illegible] अन्य पक्षकारान की तरफ से [illegible] गई। पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 15.7.21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी खींवसर (नागौर)
15/7/21	पत्रावली पेश। पक्षकारान उपस्थित। वकील प्रार्थी का प्रा.पत्र 251-ए पेश कर [illegible] किया गया। ~~पत्रावली [illegible]~~ विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर [illegible] प्रा. [illegible] किया गया। पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी खींवसर [illegible]

जिससे यह सुस्पष्ट होता है की प्रार्थी के द्वारा चाहा गया रास्ता के अलावा अन्य वेकल्पिक उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थी के पास स्थायी रास्ता नहीं है तथा इस रास्ते की ही नितांत कता है। विद्वान अधिवक्ताओं की बहस एवं तहसीलदार खींवसर की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नक्शा का गहनता पूर्वक अध्ययन करने से यह भी स्पष्ट रूप से ताईद होता है की प्रार्थी ात खसरा नबंर 860 में आने जाने हेतु अप्रार्थी के खेत ख.न. 858, 859 में से रास्ता चाहा है भू.अ. निरीक्षक अपनी रिपोर्ट में उक्त रास्ते को ही निकटतम बताया है जबकि उक्त नजरी का अवलोकन करने से प्रथम दृष्टया चाहा गया रास्ता यानि प्रस्तावित रास्ता ही निकटतम है तथा कम से कम रकबा प्रभावित होता है और निकटतम भी है और अन्य स्थायी रास्ता भी ग के पास नहीं है प्रार्थी को अपने खेत ख.न. 860 में आने जाने के लिए ए से बी का रास्ता ाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर मैं इस निर्णय पर पहुँचा हूँ की प्रार्थी को उक्त रास्ते की आवश्यकता है प्रश्नगत रास्ता सरल, सुगम, निकटतम एवं कम से कम रकबा प्रभावित होने रास्ता है और यही अन्तर्गत धारा 251 अ की मशां है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का उक्त आवेदन त धारा 251 अ स्वीकार करने योग्य होने की वजह से स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार खींवसर को यह आदेश दिये जाते है कि :—

आदेश

अतः प्रार्थीगण को अपने खेत खसरा नबंर 960 में आने जाने के रास्ता अप्रार्थी के ख.न. 859, 858 में से आगे चलने वाले टांकला सड़क तक 15 फुट चौड़ा घोषित किया जाता जिसका कुल 18,880 वर्ग फुट प्रभावित रकबा बीघा की डीएलसी दर से तीन गुना प्रतिकर 1,18,377/—प्रार्थी से राजकोष में जमा करवाई जाकर उक्त रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन नक्शा में प्रार्थी के ख.न. 860 से 858,859 में से आगे चलने वाले टांकला सड़क तक 15 फुट कर उक्तानुसार राजस्व नक्शे में तरमीम करने हेतु तहसीलदार खींवसर को आदेश दिये जाते गर प्रार्थी से अप्रार्थी के ख.न. 858 का प्रभावित रकबा 11 बिश्वा 07 बिस्वांसी की डीएलसी दर न गुना राशि 67,473/— एवं ख.न. 859 की प्रभावित रकबा 10 बिश्वा 06 बिस्वांसी की सी दर से तीन गुना राशि 50,904/— भूमि की प्रतिकर राशि उपरोक्ता अनुसार प्रार्थी से कर प्रभावित रकबे के खातेदारों को भुगतान की जानी है।

उक्त राषि का प्रभावित रकबा अनुसार वितरण खातेदारों को किया जावें है इस प्रकार उक्त का भुगतान कर उक्त आदेश की पालना की जानी है। उक्त रास्ते पर किसी भी पक्षकारान निजी स्वामित्व नहीं रहेगा । यह रास्ता एक सार्वजनिक रास्ता रहेगा जो सभी के लिए उपयोग ग में काम आयेगा।

उपरोक्त खसरान पर किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्त आदेश की पालना कर अवगत करावे। पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

राजकेश मीना RAS
(उपखण्ड अधिकारी)
खींवसर

उपखण्ड अधिकारी
खींवसर (नागौर)

उक्त आदेष आज दिनांक : 20.07. 2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

राजकेश मीना RAS
(उपखण्ड अधिकारी)
खींवसर

उपखण्ड अधिकारी
खींवसर (नागौर)